


तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज  जगदीश बनाम राजस्थान सरकार अपील संख्या 2025 / 1740	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
13.04.26	<p>पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता अपीलान्त अनुपस्थित। प्रकरण आवाज लगवाई गई। पुनः रूक रूककर आवाज लगवाई गई फिर भी अधिवक्ता अपीलान्त अनुपस्थित है एवं अपीलार्थीगण व उनकी ओर से अन्य कोई और भी न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं है। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण माह नवम्बर 2025 से ही एडमिशन की बहस में विचाराधीन चल रहा है तथा अधिवक्ता अपीलान्त पूर्व में भी कई बार अनुपस्थित रहे हैं। ऐसी स्थिति में प्रकरण अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।</p> <p>अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्त अदम हाजरी व अदम पैरवी में खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हों। आदेश सुनाया गया।</p> <p style="text-align: right;"> (वे.सरवण कुमार) समाधि आयुक्त, जयपुर।</p>	